प्रेस नोट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 06.11.2025

01 नफर वांछित गैंगस्टर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष पीपीगंज के नेतृत्व में थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 618/3 धारा 2025(1),2(ख)(i),2(ख)(Xi) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त आलोक पासवान पुत्र शेषनाथ पासवान निवासी ग्राम बड़हरा थाना पनियरा जनपद महाराजगंज को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 10.02.2025 को वादी मुकदमा जिनकी जनपद महराजगंज में आभूषण की दुकान है को घर से वापस आते समय रास्ते में रोककर 01 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद मोबाइल फोन, 1.800 Kg चांदी के जेवरात, 22 ग्राम सोना के जेवरात एवं नगदी 14000/-रूपया लूट लिया गया था। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 0092/25 अन्तर्गत धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आलोक पासवान पुत्र शेषनाथ पासवान निवासी ग्राम बड़हरा थाना पनियरा जनपद महाराजगंज

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 92/2025 धारा 310(2),317(2),61(2) बीएनएस थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 618/2025 धारा 2(1)ख(i)(Xi) यू.पी.गैंगेस्टर एक्ट थाना कैम्पियरगंज जपनद गोरखपुर

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- थानाध्यक्ष पीपीगंज अरूण कुमार सिंह, थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
2- का0 अमरनाथ यादव, थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर।
3- का0 उमेश कुमार सिंह, थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर।